Details Regarding CM Announcement

48. Sh. NEERAJ SHARMA (Faridabad NIT):-

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

a) the name of the person by whom recommendation and when the Hon'ble Chief Minister announcement no. 11313 has been made togetherwith the extent of amount thereof;

b) whether it is a fact that there was a railway track from the Pyali Chowk upto 3 No. Pulia F.C.I. godown; if so, whether the said railway track has been removed from there togetherwith the name of the person who has given the order to remove it;

c) whether it is a fact that the construction of green belt and drainage have been executed under the Hon'ble Chief Minister announcement no. 11313 on the land where the railway track was existed; if so, the status of said track at present; and

d) the name of the person who gave the permission to construct the passage over the railway track for industrial premises adjacent to FCI godown togetherwith the present status of the track which was laid on the area of abovesaid passage alongwith the details thereof?

Dr. Kamal Gupta, Urban Local Bodies Minister

a) The announcement was made by Hon’ble Chief Minister, Haryana on 10.04.2016 on the recommendation of the elected representatives of that area, without indicating any specific amount.

b) Yes sir. No such permission was granted by the Municipal Corporation, Faridabad.

c) Only green belt development was done under the Hon’ble Chief Minister Announcement and the said track is not functional presently.

d) The Government approved the layout plan of industrial plot no. 1, 2, 3, 4 duly recommended by the Municipal Corporation, Faridabad with the terms and conditions of policy dated 30.01.2006 in which the passage has been shown. At present the railway line/ track is non-functional.

मुख्यमंत्री की घोषणा से संबंधित ब्यौरा

48. **श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद एनआईटी):**

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे किः—

(क) उस व्यक्ति का नाम जिसकी अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 11313 की गई तथा घोषणा कब की गई तथा उसकी कुल राशि क्या है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि प्याली चौक से 3 नम्बर पुलिया तक एफ.सी.आई गोदाम तक रेलवे ट्रैक था; यदि हां, तो क्या उक्त रेलवे ट्रैक को वहां से हटा दिया गया है तथा उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसके आदेश से इसे हटा दिया गया है;

(ग) क्या यह तथ्य है कि उस भूमि पर जहां रेलवे ट्रैक स्थित था, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 11313 के तहत ग्रीन बेल्ट और निकासी के लिए निर्माण कार्य निष्पादित किया गया है; यदि हां, तो उक्त ट्रैक की वर्तमान स्थिति क्या है; तथा

(घ) उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने एफ.सी.आई गोदाम के साथ लगते औद्यौगिक परिसर के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर रास्ता बनाने की अनुमति दी तथा उपरोक्त रास्ते के क्षेत्र पर बिछाए गए ट्रैक की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

डा0 कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

(क) उस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सिफारिश पर माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा 10.04.2016 को बिना किसी विशिष्ट राशि दर्शाय घोषणा की गई।

(ख) हां श्रीमान जी। नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।

(ग) केवल ग्रीन बेल्ट का विकास माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के तहत किया गया तथा उक्त ट्रैक वर्तमान में कार्यशील नहीं है।

(घ) सरकार द्वारा नगर निगम, फरीदाबाद की सिफारीश पर औद्योगिक भूखंड संख्या 1, 2, 3, 4 के नक्शा प्लान की मंजुरी 30.01.2006 की नीति के नियमों व शर्तों के साथ की है जिसमें रास्ता दिर्शाया गया है। वर्तमान में रेलवे ट्रैक/लाइन कार्यशील नहीं है।